गोलालारीय समाज का मुखपत्र

RNI No. MPHIN/2008/26873
No. MP/ICD/1252/2012-2014

golalariya_darshan@yahoo.in
गोलालारीय दर्शन यहां भी देख सकते है –
www.golalariya.com

मासिक
गोलालारीय दर्शन

अपनों के साथ अपनी बातें

जो भरा नहीं हैं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं पत्थर हैं वो, जिसे समाज से प्यार नहीं।

वर्ष : 5 | अंक : 5 | पृष्ठ संख्या : 10 | माह – 15 अक्टूबर 2013 | सहयोग राशि : 100 रु.

संपादकीय

श्रेय की होड़ से टूटती एकता

आजकल अधिकांश समाजों में मंदिर या संगठन के विवाद बहुत अधिक देखने, सुनने में आ रहे है, विवादों की दीमक जैन समाज को शायद कुछ ज्यादा ही लग गई है, अधिकांश मंदिरों या सामाजिक संस्थाओं में नित नये विवाद सामने आ रहे है जिससे सामान्य जैन सदस्य आहत है जैन समाज की पहचान सभ्य एवं सुशिक्षित समाज के रुप में सदैव रही है।

पद की लालसा, लोभ, आडम्बर (दिखावा) में फंसकर अधिकांश श्रावक पूज्य आचार्यों, मुनियों की गरिमा के साथ साथ समाज व परिवार को हानि पहुंचा रहे है जिससे सदस्यों के मन में वैमनस्य का भाव पैदा हो, समाज अप्रत्यक्ष रुप से विघटित हो रहा है साथ ही हम सभी जग हंसाई के पात्र भी बन रहे है। एक कहानी आप सभी ने सुनी होगी एक शिकारी ने जंगल में पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल फैला रखा था जिसमें कुछ पक्षी फंस गए, फंसे हुए पक्षियों ने विचार करा और एकता के बल पर पूरा जोर लगाकर जाल सहित आसमान में उड़ चले। एकता के बल पर ही असंभव कार्य को उन नन्हें पक्षियों ने संभव कर दिखाया। जवान शिकारी हाथ मलता बैठा रहा गया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई बल्कि शुरु हुई है। तभी एक बुजुर्ग शिकारी ने यह सब देखकर जवान शिकारी को कहा कि दौड़कर इनका पीछा करो क्योंकि इनकी एकता ज्यादा समय तक नहीं चलेगी क्योंकि सभी पक्षी एक ही जाति के है और जाति संघर्ष क्या होता है यह मैं अच्छी तरह से समझता हूँ । कुछ समय पश्चात सचमुच ऐसा ही हुआ कुछ पक्षी अपने साथी पक्षियों की जान बचाने का श्रेय लेने लगे तभी दूसरे पक्षियों ने इसका विरोध करना शुरु कर दिया । इस संघर्ष के कारण उनकी शक्ति कमजोर हो गई इनके संघर्ष को देखकर कुछ पक्षी तटस्थ होकर अपना योगदान देना ही भूल गए, नतीजा यह हुआ कि सभी पक्षी जाल सहित जमीन पर आ गिरे और शिकारी का काम बन गया। अब आप ही सोचे कि दोष किसका है? जिसने श्रेय के लिए एकता तोड़ी या जिसने श्रेय लेने वालों का विरोध करा या जो तटस्थ होकर सबकुछ देखते रहे।

श्रेय लेने की चाह परिवार, समाज व संस्था को तोड़ देती है जो सफलता एकमत या एकजुट होकर प्राप्त होती है उसके लिए व्यक्तिगत श्रेय लेने की लालसा से बचना चाहिए। जो सदस्य अपने कृत्यों से परिवार, समाज व संस्था के गौरव को हानि पहुँचाते है या एकता खंडित करते है उन्हें उस परिवार या संस्था से हटाकर एकता को कायम रखना चाहिये क्योंकि यह मानव स्वभाव ही है जिस तरह फलों की टोकरी में से सड़े फल को हटाया जाता है, शरीर का कोई भी अंग चाहे कितना भी जरुरी हो यदि मृत्यु का कारण बने तो उसे काटकर अलग कर दिया जाता है, उसी तरह अब समय आ गया है कि जिस व्यक्ति के कारण समाज की एकता व शक्ति खंडित हो रही हो, तो चाहे वह किसी भी पद पर कितना बड़ा भी क्यों न हो उसे हटाकर समाज की एकता को बनाया जाना चाहिए।

मोर पंख जीव दया का अंश

पिच्छी जैनादर्श में एक पूज्यनीय वस्तु है। अनादि काल से चली आ रही दिगम्बर मुनियों की परंपरा मे पिच्छी कमंडल ही ऐसे दो उपकरण है जो दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात पूज्य मुनिवर, आर्यिका, ऐलक एवं क्षुल्लक महाराज की चर्या हेतु परमावश्यक है। ऐसे में सरकार का मोर पंख के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव हमारे जैन परंपरा के आधार को झकझोरने वाला है। जैन मुनि जो अहिंसा परमोधर्म को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं उनके हाथ से कोई भी ऐसा कार्य किया ही नहीं जा सकता जिससे किसी जीव को थोड़ा भी कष्ट हो। वे तो तिर्यच जीवों की सुरक्षा के लिये मोर पंख की पिच्छी का उपयोग करते हैं तो क्या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये कल्पना भी कर है कि वे मोरपंख प्राप्त करने के लिए मोर जैसे पंचइंद्रीय जीव को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनको नुकसान पहुंचाकर मोर पंख लाने के लिये किसी श्रावक को प्रेरित भी कर सकते है। कदापि नहीं, 'भूतो न भविष्यति'। वास्तव में मोरों के जीवन चक्र में प्राकृतिक रुप से वर्ष में एक बार वे अपने पंख गिराते हैं और उन्हीं पंखों को श्रावक एकत्रित करके पिच्छी बनाते हैं और पूज्य गुरुवरों के हाथों में जीव दया के साधक उपकरण के रूप में देते है।

वास्तव में मोर पंख इतने कोमल होते हैं कि बारीक से बारीक जीव भी उनके द्वारा हटाये जाने पर सुरक्षित रहते हैं और दूसरे मोर पंख जीवाणु रहित होते हैं अर्थात् वे नमी से प्रभावित नहीं होते एवं कभी गीले हो जाने पर भी उनमें कोई फफूंद या जीवाणु उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ पर जैन धर्म के प्रेरक सूत्र 'परस्परोग्रहो जीवानाम्' को चित्र सहित अंकित किया गया है अर्थात जैन धर्म को जीव दया का आधार माना गया है तो जिस धर्म के प्रेरक सूत्र को संविधान ने पहला वाक्य बनाया वही संविधान उस धर्म के सिद्धांतों के विपरीत कैसे जा सकता है। जैन धर्म में पंच परमेष्ठी ही पूजे जाते हैं पहले दो परमेष्ठी अरिहंत और सिद्ध को छोड़कर बाकी तीन परमेष्ठी आचार्य, उपाध्याय एवं साधु इस धरती पर जीवंत विद्यमान है और पिच्छी उनके हाथों का अनिवार्य यंत्र है उसके बिना वे न आहार ग्रहण करते न विहार करते है। जैन सिद्धांतों के अनुसार यदि साधु अपनी चर्या के पालन में विघ्न देखते है और जैन आगम के अनुसार चर्या पालन में असमर्थ होते हैं तो समाधि तक ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या केन्द्र सरकार जैन मुनियों की समाधि का कारण बनना चाहेगा? और क्या जैन श्रावक ऐसा होने देंगे?

जो केन्द्र सरकार नित नये आधुनिक बूचड़ खानों की अनुमति प्रदान कर लाखों पशुओं का वध करवाने की अनुशंसा करती है वो मोर पंख के उपयोग में प्रतिबंध लगाये कितना हास्यास्पद है। जो सरकार धर्म के नाम पर ऐसे कृपाण रखने की छूट दे जो वक्त आने पर किसी की हत्या का कारण बन सकता है वह मोर पंख जैसी वस्तु के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर

अनैतिक कृत्य कैसे कर सकती है। जो सरकार धार्मिक अधिकारों का सहारा लेकर त्रिशूल, भाले, तलवार आदि के प्रदर्शन की अनुमति दे सकती है वो मोर पंख के उपयोग पर प्रतिबंध कैसे लगा सकती है।

•जैन धर्म अखिल ब्रम्हाण्ड के समस्त जीवों को 'जीयो और जीने दो' की शिक्षा देता है उसकी दृष्टि में सब एक बराबर है। ऐसा नहीं कि मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो संरक्षित है और मुर्गियों, बतखों, मूक पशुओं निरीह मछलियों को सरेआम काट डालो, कोई प्रतिबंध नहीं। इंसानों में आरक्षण के पश्चात अब जानवरों में आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही है केन्द्र सरकार की नीतियां।

हम तो उस धर्म के अनुयायी है जो प्राण देते है परंतु किसी जीव की हिंसा से बने औषधि तक का उपयोग नहीं करते हैं तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी नहीं सोच सकता कि जैन धर्म गुरुओं के हाथों में कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जो जीव हिंसा के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जीव तो जीव जो धर्म गुरु घास जैसे एक इंद्रिय वनस्पति के ऊपर तक चरण नहीं रखते, उन्हें ऐसे प्रतिबंधों से प्रभावित कर शिक्षा देने की सोचने वाले की मानसिकता पर तरस आता है।

हां यह अलग बात है कि कुछ असामाजिक तत्व इसकी आड़ लेकर मोरों की हिंसा करते हों, तो ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देश के ऐसे कर्णधारों से अपील है कि तुच्छ मानसिकता से ऊपर आकर जैन धर्म के सिद्धांतों से कुछ ग्रहण करें, जो पूर्णत: वैज्ञानिक धर्म है। इसकी एक नहीं हजारों बार पुष्टि हो चुकी है। जैन धर्म में न आडम्बर है न कर्मकाण्ड है, है तो सिर्फ आत्मशुद्धि और जीव दया । तो खुली आंखों से सोने वाले जागो, अन्यथा यह जैन समाज क्षत्रिय राजाओं के वंशज है जो शौर्य के लिये जाने जाते है और अपनी परंपरा के लिये अपने अधिकारों को प्राप्त करने की ताकत रखते है। परंतु सर्वप्रथम यही मानते है कि – **'अहिंसा परमो धर्म'**

–श्रीमती अर्चना जैन, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, मंडला

विरोध स्वरुप अपने पत्र व ईमेल निम्न पते पर भेजे –
Shri V.S.P. Singh, Joint Director Rajya Sabha Directorate
Room No. 142 M, Sansdiya Soudh, New Delhi 110001
Email : rscst@sansad.nic.in

दिसम्बर 2013 का अंक 'वैवाहिकी विशेषांक'

गोलालारीय दर्शन के प्रत्येक अंक में विवाह योग्य प्रत्याशियों का संक्षिप्त परिचय निरंतर प्रकाशित होता रहा है। समाजजन अपने बच्चों के संबंधों के लिए आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके । गत 4 वर्षो से यह कार्य 'गोलालारीय दर्शन' पत्रिका सफलतापूर्वक निभा रहा है। पत्रिका के माध्यम से 35–40 संबंध हो चुके है। हमारे प्रतिनिधियों की भावना के अनुरुप हम आगामी अंक जो दिसम्बर 2013 को प्रकाशित होगा उसे **वैवाहिकी विशेषांक (प्रत्याशियों का पूर्ण विवरण चित्र सहित)** के रुप में प्रस्तुत कर रहे है। जिसमें निर्धारित प्रारुप में प्रत्याशी का विवरण, 25/11/2013 सशुल्क स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक प्रत्याशी 150/–रु. का शुल्क निर्धारित किया गया है । इंटरनेट के माध्यम से भेजी गई प्रविष्टियों के साथ बैंक में जमा राशि की रसीद की कॉपी भी मेल करें। जिसमें प्रत्याशी के पते पर इस अंक की दो प्रतियां कोरियर के माध्यम से भेजी जावेगी। अधिक जानकारी एवं बायोडाटा आप हमारी पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधियों से प्राप्त कर बायोडाटा सशुल्क जमा करा सकते है –

Bank Details : SBI Bank A/c - 63048875855 IFSC: STIN0003134

आगामी अंक में जैन तिथि दर्पण प्रकाशित किया जावेगा।

गोलालारीय दर्शन समाज के 4500 परिवारों तक नियमित भेजा जा रहा है। संभव है डाक व्यवस्था या आपका पता सही न होने के कारण पत्रिका आपको व आपके रिश्तेदारों तक पत्रिका नहीं पहुंचती है तो उनका नाम व पता पोस्टकार्ड पर लिखकर पत्रिका कार्यालय पर भेज देवें या 9424013136 पर दोप. 4 से रात्रि 10 तक संपर्क कर सकते है या अपने पता का एसएमएस कर सकते है।